

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- गढ़वा जिलान्तर्गत रंका प्रखण्ड में गोदरमाना के नजदीक कनहर नदी पर कटाव निरोधक कार्य हेतु रु० 66.44 लाख (छयासठ लाख चौवालीस हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. गढ़वा जिलान्तर्गत रंका प्रखण्ड में गोदरमाना के नजदीक कनहर नदी पर कटाव निरोधक कार्य हेतु रु० 66.44 लाख (छयासठ लाख चौवालीस हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इसके अन्तर्गत 1200 फीट की लम्बाई में Edge Crating with apron का कार्य कराया जायेगा।
4. यह कार्य वर्ष 2016-17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, इकाई-44 लघु निर्माण कार्य एवं
मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, इकाई-44, लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।
6. यह कार्य अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस कार्य के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंध है।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013- राँची, दिनांक 13.04.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

13/04/16